

दलीप / इलीयन्द

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
२५/२	<p>पात्रावली पेय डुई। पार्सी का वाद अदत खजरी अदत वैखी में खासिज किमत जा चुका है। और कुल वाद के इस डाक पर का कोई ऑलिटन नहीं है। अतः सतः पार्सी पत्र में खासिज किमत जाता है। पात्रावली में मूल अदत देख कर नंबर से कम हो तथा वाद तमनील लेख अदत हो।</p> <p style="text-align: right;">प</p>